सम्वत 2048-51 के खाता सं.101 में सोवरन पुत्र ओगी हि.1/3 दयाराम पु
हि.1/3 राजवीर करतार डेवीराम विजेन्द्र सहीराम रामेश्वर पि० पंचम हि. ब. 6/21 रिकार्ड दर्ज
के खाता सं. 158 में सोवरन पुत्र ओगी हि.1/2 दयाराम पुत्र पंचम हि. 1/21 गिन्नी पुत्र गज्जे हि०
विजेन्द्र सहीराम रामेश्वर पि० पंचम हि० 6 रिकार्ड किया गया।

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

जबकि सोवरन पुत्र ओगी हि.1/3 राजवीर करतार विजेन्द्र डेवीराम सहीराम रामे
होना चाहिए था। इ०न० 14-ग्रामपंचायत डिग्री के मुताबिक सोवरन पुत्र ओगीराम हि.1/2 में से हि.1/8 पर
के नाम अंकन किया तथा शेष हि० 3/8 सोवरन पुत्र ओगीराम का इन्द्राज किया गया। जो गलत है। सोवरन पुत्र
खातेदार था। राजावाई 1/8 खातेदार होने के बाद सोवरन हि० 5/24 का होना चाहिए था।
आधार वर्ष 2006 के खाता सं. 134 में इ०न. 38 से सोवरन पुत्र ओगीराम हि.1/4 से विमला
हि.1/4 का अंकन किया गया है। जबकि सोवरन पुत्र ओगीराम का हि० 5/24 ही बनता था। सोवरन द्वारा अपने हिस्से
का बयनामा किया गया है। - सम्वत 2067-70 के खाता सं. 147 में सोवरन पुत्र ओगीराम का हि.1/8 दर्ज किया गया जो गलत
सोवरन पुत्र ओगीराम का हि० शेष रहता ही नहीं है। - राजवीर करतार डेवीराम विजेन्द्र सहीराम रामेश्वर पि० पंचम हि० ब
किया गया जो गलत है। जबकि राजवीर कौरा का हि० 6/21 होना चाहिए।
इ०न० 194 से सहीराम पुत्र पंचम की विरासत हि.1/36 से दर्ज की गई है जबकि सहीराम पुत्र पंचम की विरासत हि. 1/2
से गुड्डी पत्नी व तराना अन्जू ज्योति नीतू पल्लवी पुत्रीयान व दीपक अविनाश सोहित पुत्रान सहीराम हि. ब. 1/21 के दर्ज होनी चाहिए था
इ०न० 196 से सोवरन पुत्र ओगीराम हि.1/8 से विरासत नाथू पुत्र व रवीना पुत्री पि० सोवरन हि. ब. 1/8 दर्ज की गई जबकि सोवरन पुत्र
ओगीराम अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर चुका था। - इ०न० 194 से नाथू पुत्र सोवरन हि.1/16 का बेचान ओमप्रकाश पुत्र हरि-
लाल हि.1/16 को किया गया। जो गलत है।
चूंकि खाता सेटलमेंट जमाबंदी के अपवादित खाते की श्रेणी में है। जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः
सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि मूल खाता राजावाई पुत्री ओगीराम हि.1/8 विमला पत्नी गिन्नी हि०
5/24 गिन्नी पुत्र गज्जे हि.1/3 राजवीर करतार डेवीराम विजेन्द्र रामेश्वर दयाराम पि० पंचम 6/21 गुड्डी पत्नी सहीराम
6/189 ज्योति नीतू पल्लवी पुत्री सहीराम हि० ब० 3/189 होना चाहिए।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

अतः रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

उ. क. सरमीखेड़ा

4/4/18
142 सरमी/कोर्ट

6.4.19

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का सरमीखेड़ा एवं भू.अ.नि. वृत्त - सरमीखेड़ा के नियम 136 के तहत शुद्धि किया जाना उचित है।

उ० सं० 150 दिनांक 15-04-19

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर

L.R Act 136 में उपरान्त स्वीकार किया जाता है

12.4.19

तहसीलदार (भू० अभि०)
धौलपुर (राज०)

खण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

उप खण्ड अधिकारी